प्रवेश–आवेदन पत्र

इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र परीक्षा फल घोषित होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

सूचनाः प्रत्येक संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु अलग–अलग प्रवेश आवेदन पत्र जमा करें। एक संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, दूसरे संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु मान्य नहीं होगा। इन सभी आवेदन पत्रों में आवश्यक प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित सत्य–प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

1 सभी प्रवेश–आवेदन पत्र निर्धारित फार्म में दिए जाए। आवेदन पत्र, निर्धारित राशि कार्यालय में जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि किसी भी कारण से लौटाई नहीं जाएगी।

2. आवेदन–पत्र स्वयं विद्यार्थी द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा पिता या पालक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

3. महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने के उपरांत उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश हेतु नया प्रवेश–आवेदन पत्र नहीं भरना होगा। उसके स्थान पर विवरणिका के साथ एक नवीनीकरण आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरकर देना होगा ताकि उनके अभिभावक का नाम एवं पता महाविद्यालय में उपलब्ध रहे।

विशेषः निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ होना अनिवार्य है।

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रवेश कार्ड लेते समय देना होगा।
2. डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा।
3. पिछली कक्षा की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि, मूल अंकसूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें। मूल अंकसूची विद्यार्थी को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।

4. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) (उन विद्यार्थियो के लिए है जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित किसी भी संस्था के न रहे हों)

5. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसे किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठे या अनुत्तीर्ण हुए हों तो उसे गत वर्षो की परीक्षा संबंधी जानकारी (एफिडेविट में) प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

8. जिन विद्यार्थियों ने गत परीक्षा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण–पत्र महाविद्यालय–प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृत्तियों के लिए भी निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगेः–

   (1) जाति प्रमाण–पत्र (2) आय प्रमाण–पत्र (3) निवास प्रमाण–पत्र (4) आधार कार्ड

   ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें।

10. नौकरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

11. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्ही कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो अथवा अध्ययन बीच में बन्द कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थियों को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

12. शासकीय नियमों के विरूद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

सामान्य सूचनायें

1. यदि विद्यार्थी एक संकाय छोड़ दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकार निर्धारित किया जायेगा।
2. विद्यार्थी अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहता है उसका चयन सावधानी से करें। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जायेगी, प्रवेश–सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूचना पहुँचाने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी।
4. प्रवेश सूची जारी होने के सात दिनों के अन्दर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा।
5. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
6. विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं के प्रारंभ होने की तिथि से की जावेगी, छात्र के प्रवेश लेने की तिथि से नहीं। उपस्थिति में छूट की कोई सुविधा नहीं दी जावेगी। यदि उपस्थिति 75 % से कम होगी तो नियमित छात्र के रूप मे परीक्षा में सम्मिलिति होने की पात्रता नहीं होगी।
7. प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक सत्य प्रतिलिपि होना आवश्यक है।
8. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के बाद मूल अंकसूची कार्यालय से तुरंत लेने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की ही होगी।
9. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर विद्यार्थी तत्संबंधी सुविधा से वंचित रहेगा।

प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदिः–

1. विद्यार्थी महाविद्यालय का प्रवेश–शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करता है।
2. यदि विद्यार्थी महाविद्यालय की आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहता हो।
3. विद्यार्थी का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि में असंतोषजनक हो।
4. विद्यार्थी किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता हो।
5. विद्यार्थी रैगिंग में संलिप्त पाया जाये।
6. यदि विद्यार्थी किसी आपराधिक या अनैतिक कार्यो में लिप्त हो।
7. शासकीय नियमानुसार यदि कोई विद्यार्थी लगातार 1 माह से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जायेगा।

अर्हता

अर्हता संबंधी नियम राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे।

सूचनाः–

1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवजन (Migration) प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।
2. महाविद्यालय में विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा मान्य होने तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
3. पूर्व परीक्षा में जो विद्यार्थी अमहाविद्यालयीन (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हों अथवा अन्य विश्वविद्यालय से आए हो, उन्हें विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भरना अनिवार्य है।

शुल्क संबंधी नियम

1. विद्यार्थी स्वयं काउन्टर पर ही फीस जमा करें।
2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए विद्यार्थी उसी समय रसीद प्राप्त करें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होंगे।
4. विद्यार्थी सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी।
5. नामांकन शुल्क उन विद्यार्थियों के लिए देय है, जो बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित होकर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) में नामांकित होना चाहते हैं।

कार्यालय, प्राचार्य बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

सत्र् 2021–22 शुल्क तालिका

क्र.	कक्षा	काशनमनी	निर्धन छात्र सहायता	वाचनालय	शारीरिक कल्याण शुल्क	सायकल स्टेण्ड	परिचय पत्र	चिकित्सा	विभागीय निधि	सम्मिलित निधि	क्रीड़ा शुल्क	विकास	स्नेह सम्मेलन	पत्रिका	छात्र संघ	आंतरिक परीक्षा शुल्क	युवाउत्सव	प्रायोगिक शुल्क	नामांकन शुल्क	ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क	योग	रेडक्रास	शासकीय शुल्क	जनभागीदारी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27
1	B.A./B.COM.-I	60	5	20	150	70	25	3	0	20	12	25	20	40	5	75	20	0	150	50	750	40	120	400	1310
2	B.A./B.COM.-II/III	0	5	20	150	70	25	3	0	20	12	25	20	40	5	75	20	0	0	50	540	40	120	400	1100
3	B.Sc.-I	60	5	20	150	70	25	3	0	20	12	25	20	40	5	75	20	100	150	50	850	40	140	400	1430
4	B.Sc.-II/III	0	5	20	150	70	25	3	0	20	12	25	20	40	5	75	20	100	0	50	640	40	140	400	1220
5	B.Sc.-I (H.S.)	60	5	20	150	70	25	3	0	20	12	25	20	40	5	75	20	100	150	50	850	40	25	400	1315
6	B.Sc. (H.S.)-II/III	0	5	20	150	70	25	3	0	20	12	25	20	40	5	75	20	100	0	50	640	40	25	400	1105
7	LLB-I	100	5	20	150	70	25	3	895	20	12	25	20	40	5	75	20	0	150	50	1685	40	269	400	2394
8	LLB -I I/III	0	5	20	150	70	25	3	895	20	12	25	20	40	5	75	20	0	0	50	1435	40	269	400	2144
9	BCA-I	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	0	150	50	805	40	5	400	1250
10	BCA-II/III	0	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	0	0	50	555	40	5	400	1000
11	MA / M.COM - I SEM	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	0	150	50	805	40	120	400	1365
12	MA / M.COM - III SEM	0	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	0	0	50	555	40	120	400	1115
13	M.SC. - I SEM (MATHS)	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	150	50	905	40	140	400	1485
14	M.SC.-III SEM (MATHS)	0	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	0	50	655	40	140	400	1235
15	M.SC.-I SEM (CHEM.)	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	150	50	905	40	140	400	1485
16	M.SC.-III SEM (CHEM.)	0	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	0	50	655	40	140	400	1235
17	M.SC.-I SEM (IT)	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	150	50	905	40	140	400	1485
18	M.SC.-III SEM (IT)	0	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	0	50	655	40	140	400	1235
19	M.SC.-I SEM (PHYSICS)	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	150	50	905	40	140	400	1485

20	M.SC.-III SEM (PHYSICS)	0	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	0	50	655	40	140	400	1235
21	M.SC.-I SEM (ZOOLOGY)	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	150	50	905	40	140	400	1485
22	M.SC.-III SEM (ZOOLOGY)	0	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	0	50	655	40	140	400	1235
23	M.SC.-I SEM (BOTANY) -	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	150	50	905	40	140	400	1485
24	M.SC. -I SEM (H.Sc.)	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	150	50	905	40	25	400	1370
25	M.SC. -III SEM (H.Sc.)	0	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	100	0	50	655	40	25	400	1120
26	DCA- I SEM	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	0	150	50	805	40	5	400	1250
27	PGDCA -I SEM	100	5	20	150	70	25	3	15	20	12	25	20	40	5	75	20	0	150	50	805	40	5	400	1250

शुल्क विवरण तालिका सत्र 2021–22

स्नातक

क्र.	कक्षा	शासकीय शुल्क	अशासकीय शुल्क	रेडक्रास	जनभागीदारी शुल्क	कुल योग
1	बी.ए./बी.कॉम. भाग–एक	120	750	40	400	1310
2	बी.ए./बी.कॉम. भाग–दो एवं तीन	120	540	40	400	1100
3	बी.एस.सी.भाग–एक	140	850	40	400	1430
4	बी.एस.सी.भाग–दो एवं तीन	140	640	40	400	1220
5	बी.एस.सी.भाग–एक (गृह विज्ञान)	25	850	40	400	1315
6	बी.एस.सी.भाग–दो एवं तीन (गृह विज्ञान)	25	640	40	400	1105
7	विधि भाग–एक (125 + 144)	269	1685	40	400	2394
8	विधि भाग–दो एवं तीन	269	1435	40	400	2144
9	बी.सी.ए. भाग–एक	5	805	40	400	1250
10	बी.सी.ए. भाग–दो एवं तीन	5	555	40	400	1000
11	डी.सी.ए.	5	805	40	400	1250

स्नातकोत्तर

क्र.	कक्षा	शासकीय शुल्क	अशासकीय शुल्क	रेडक्रास	जनभागीदारी शुल्क	कुल योग
1	एम.ए./एम.कॉम.– प्रथम सेमेस्टर	120	805	40	400	1365
2	एम.ए./एम.कॉम.– तृतीय सेमेस्टर	120	555	40	400	1115
3	एम.एस.सी.– प्रथम सेमेस्टर (रसायन)	140	905	40	400	1485
4	एम.एस.सी.– तृतीय सेमेस्टर (रसायन)	140	655	40	400	1235
5	एम.एस.सी.– प्रथम सेमेस्टर (गणित)	140	905	40	400	1485
6	एम.एस.सी.– तृतीय सेमेस्टर (गणित)	140	655	40	400	1235
7	एम.एस.सी.– प्रथम सेमेस्टर (बॉटनी)	140	905	40	400	1485

8	एम.एस.सी.– तृतीय सेमेस्टर (बॉटनी)	0	0	0	0	0
9	एम.एस.सी.– प्रथम सेमेस्टर (होम सांईस)	25	905	40	400	1370
10	एम.एस.सी.– तृतीय सेमेस्टर (होम सांईस)	25	655	40	400	1120
11	एम.एस.सी.– प्रथम सेमेस्टर (आई.टी.)	140	905	40	400	1485
12	एम.एस.सी.– तृतीय सेमेस्टर (आई.टी.)	140	655	40	400	1235
13	एम.एस.सी.– प्रथम सेमेस्टर (जुलॉजी)	140	905	40	400	1485
14	एम.एस.सी.– तृतीय सेमेस्टर (जुलॉजी)	140	655	40	400	1235
15	एम.एस.सी.– प्रथम सेमेस्टर (फिजिक्स)	140	905	40	400	1485
16	एम.एस.सी.– तृतीय सेमेस्टर (फिजिक्स)	140	655	40	400	1235
17	पी.जी.डी.सी.ए.– प्रथम सेमेस्टर	5	805	40	400	1250

टीप:–

1. भूगोल विषय वाले छात्रों को 20 रू. शासकीय मद में एवं 100 रू. अशासकीय मद में अतिरिक्त प्रायोगिक शुल्क देना होगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र/छूट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर केवल शिक्षण शुल्क की छूट होगी।
3. सभी वर्ग के छात्राओं को शिक्षण शुल्क की छूट होगी।
4. किसी भी कक्षा में नया प्रवेश (स्वाध्यायी से नियमित) छात्रों को नियमानुसार अवधान राशि देना होगा।
5. बी.कॉम. (कम्प्यूटर) के 5000.00 रू., (पूरे कोर्स हेतु) डी.सी.ए. (पूरे कोर्स) के लिए 8000.00 रू. एवं बी.सी.ए. 14000.00 (वार्षिक) व पी.जी.डी.सी.ए. के लिए 14000.00 रू. (वार्षिक) स्व–वित्ततीय मद में अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

धरोहर राशि (अमानत राशि) प्राप्त करने के नियम

* धरोहर राशि निकलवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।
* महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (T.C.) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी।
* परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
* धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति शुक्रवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा।
* छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि (Caution Money) वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीन वर्ष व्यतीत होने पर धरोहर राशि (Caution Money) वापस नहीं की जायेगी एवं शासन के पक्ष में राजसात कर ली जाएगी।

छात्रवृत्तियाँ–शिष्यवृत्तियाँ

1. छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थीयों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र कार्यालय से प्रदान किये जायेंगे। अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय के सूचना फलक में सूचित किया जाता है। विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते है, परन्तु नियमानुसार उन्हें केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

2. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें। विलम्ब से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।

3. पात्रता होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।

4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सूचना विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी जिसे देखकर विद्यार्थी स्वयं कार्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करें।

5. योग्य निर्धन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट निर्धन छात्र कल्याण निधि से प्रदान की जाती है।

6. इसके अलावा निर्धन विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर पाठ्य पुस्तक वितरित करने का कार्य महाविद्यालय में बुक बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पाठ्यपुस्तक सत्र के अंत में महाविद्यालय में वापस जमा करना होगा।

विशेष सूचनाः–

- छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति एवं वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही जमा करें। यह आवेदन पत्र महाविद्यालय में प्रवेश–प्रक्रिया पूर्ण होने पर, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है, छात्र बैंक में बचत खाता खोलकर खाता क्रमांक की जानकारी कार्यालय को दें।

छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देंखे जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तद्नुसार आवेदन समयावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. उपरोक्त नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना फलक पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति संबंधी सूचनाएँ समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दियें जायेंगे।
6. उपरोक्त जानकारी नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के लिए है।
7. प्रत्येक छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर जुलाई माह में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।
8. विद्यार्थी को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रति वर्ष जुलाई में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का ही है।
9. सेन्ट्रल बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पास विद्यार्थी के लिए नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगे।

10. आय संबंधी योग्यता तथा अन्य आधारों में कभी भी शासन द्वारा संशोधन संभव है।

11. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है। इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।

12. शासन के नियमानुसार जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 % से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अंतर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीपः— महाविद्यालय के विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते हैं, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।

भाग दो
महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

भवन

महाविद्यालय का अपना तीन मंजिला भवन हैं जिसमें अध्ययन कक्ष, प्रयोग शालाएं तथा प्रशासनिक खंड शामिल हैं ग्रंथालय का अलग से भवन है। आई.टी. विभाग के लिए पृथक भवन है।

शोध केंद्र

महाविद्यालय को हिन्दी तथा अर्थशास्त्र विषय में शोधकार्य करने हेतु शोध केन्द्र बनाया गया है। इन विषयों में पी.एच.डी. करने के इच्छुक विद्यार्थी नियमित प्रवेश प्राप्त कर सकते है।

केन्टीन

महाविद्यालय परसिर में पृथक केन्टीन भवन की व्यवस्था है।

गर्ल्स कॉमन रूम

महाविद्यालय के मुख्य भवन के प्रथम तल में पृथक से गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था है जिसमें छात्राओं के लिए वाटर कूलर विद् एक्वागार्डए चेंजिग रूम तथा सेनेटरी नेपकीन वेंडिग मशीन की सुविधा उपलब्ध है।

वाई–फाई कैम्पस

महविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र–छात्राओं के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने पर पासवर्ड प्रदान कर वाई–फाई की सुविधा दी जाती है।

प्राथमिक उपचार कक्ष

महाविद्यालय भवन में आवश्यक सुविधाओं से पूर्ण प्राथमिक उपचार कक्ष की सुविधा उपलब्ध है। यूथ रेडक्रास सोसाइटी की सहायता से इसका संचालन किया जाता है।

स्मार्ट क्लास रूम

महाविद्यालय परिसर में 02 स्मार्ट क्लास रूम उपलब्ध है।

पुस्तकालय/वाचनालय

(अ) पुस्तकालय, वाचनालय का विद्यार्थी पूरा–पूरा उपयोग करें। यदि विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर विद्यार्थियों को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय विद्यार्थियों को चाहिए कि वह देख ले कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ तो नहीं है। यदि विद्यार्थी ऐसा पाये तो तत्काल वह ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हें दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अर्थ दंड देना होगा।

(ब) प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग विद्यार्थी केवल वाचनालय में बैठकर ही कर सकते हैं।

बुक बैंक योजना

1. साधनहीन व निर्धन विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की विशेष योजना व व्यवस्था है। इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर के पूर्व बुक बैंक की सहायता हेतु आवेदन करें। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत में लौटानी होगी।

2. महाविद्यालय के ग्रंथालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पृथक ''बुक बैंक'' योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही विद्यार्थी प्रवेश–पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण –पत्र प्रस्तुत कर ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

बी.पी.एल.(गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति

इस योजना के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण–पत्र, बी.पी.एल.कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नोटः– बुक बैंक की योजना से संबंधित किसी भी समस्या के लिए प्रभारी डॉ. (श्रीमती) श्रीदेवी चौबे तथा श्रीमती हेमवती ठाकुर से संपर्क करें।

एन.सी.सी.

छात्रों के लिए 27 सी.जी. बटालियन संचालित हैं । एन.सी.सी. का ध्येय चरित्र–निर्माण, आत्मशक्ति का विकास एवं मूल रूप से सैनिक शिक्षा देना है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

यह योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध है। इसके अंतर्गत गांव में शिविर लगाकर समाज–सेवा कार्य किया जाता है। महाविद्यालय में प्रो. कोमल प्रसाद एवं डॉ. (श्रीमती) एच. ठाकुर के नेतृत्व में दो यूनिट कार्यरत है। प्राचार्य की अध्यक्षता में इस योजना का संचालन किया जाता है।

खेलकूद

महाविद्यालय में विभिन्न खेलों की समुचित व्यवस्था है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि लेकर भाग लें। महाविद्यालय के प्रांगण में विद्यार्थियों के लिए इनडोर एवं आउटडोर खेलकूद की समुचित व्यवस्था है।

1. शारीरिक शिक्षण विभाग की विभिन्न गतिविधियों का संचालन प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के मार्गदर्शनानुसार सम्पन्न होता है। क्रीड़ा सलाहकार समिति के अध्यक्ष–प्राचार्य, प्राचार्य द्वारा मनोनीत दो सचिव क्रीड़ा अधिकारी एवं खेलों में रूचि रखने वाले प्राध्यापक सदस्य होते है।

2. महाविद्यालय में विद्यार्थी, अन्तर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अन्तर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में तथा विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधित्व करते है, उन्हें निर्णयानुसार किट्स तथा ब्लेजर दिये जाते है।

यूथ रेड क्रास सोसायटी

ध्येयः— छात्रों का सर्वांगीण विकास, उनमें स्व—प्रेरित सेवा भाव जागृत करना, रोगियों, पीड़ितों, अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, कार्यशालाओं का आयोजन करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मातृत्व की भावना जागृत करना।

1. यूथ रेड क्रास सोसायटी का वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 40/— प्रति छात्र होगी।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कार्य समिति का गठन किया जावेगा। कम से कम तीन छात्र प्रतिनिधि, प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, पुस्तकालय प्रभारी सदस्य रहेंगे। समिति के सदस्यों की संख्या 11 होगी।
3. जिला अध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे।

छात्रावास की सुविधा

महाविद्यालय में छात्राओं के लिए 20 सीटर छात्रावास का निर्माण हो चुका है। सुविधाओं के अभाव में इस सत्र में प्रवेश नहीं हो सकेगा।

विशेष व्यवस्थाएँ

1. महाविद्यालय में शिकायत पेटी उपलब्ध हैं, जिसमें विद्यार्थी निःसंकोच अपनी कठिनाई लिख सकते हैं। इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।

छात्रसंघ

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा के प्रोत्साहन हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आध्यादेश क्रमांक 1 के अनुसार छात्र संघ गठित किया जाता है।

श्रेष्ठ विद्यार्थी

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक–एक विद्यार्थी का चयन सर्वोत्तम विद्यार्थी (Best Student) के रूप में किया जाता है। चयन हेतु मापदंड प्राचार्य द्वारा गठित समिति तय करती है।

परिचय पत्र

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है, जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटो लगाना भी अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने परिचय–पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा। एक विद्यार्थी को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा।

भाग तीन

(क) प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. (अ) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु खुले द्वार की नीति समाप्त कर दी गई है। उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता है।

   (ब) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार दिया जाता है।

2. (अ) पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा की पात्रता वाले विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

   (ब) स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में पदस्थ अन्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, राष्ट्रीकृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा। स्थान रिक्त होने पर अन्य विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश की पात्रता होगी।

3. ऐसी परीक्षा के लिए जिसमें स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह प्रतिबंध उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो संकाय परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के आवेदनों पर स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकेगा।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के क्रमशः 15% तथा 18% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संसर्ग में 3% सम्मिलित आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14% स्थान आरक्षित है। सभी वर्गो में छात्राओं के लिए 30% आंतरिक आरक्षण होगा।

5. **बार कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली** द्वारा विधि भाग–एक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की गई हैः–

(क) सामान्य वर्ग हेतु स्नातक परीक्षा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 42 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्नातक परीक्षा न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना निर्धारित है।

रैगिंग

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में ''छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001'' पारित किया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

परिभाषाः–

रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उससे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना या ऐसी अपराधिक धमकी देना।

रैगिंग का प्रतिषेधः–

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

दण्डः–

यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

अपराधों का विचारणः–

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्योग्यताः–

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था–परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसे छात्र/छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोषी पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

स्थानीय प्रबंधन समिति (जनभागीदारी समिति)

महाविद्यालय में शैक्षणिक विकास को गति देने की शासन की नीति के तहत महाविद्यालय के साथ नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। समिति का मुख्य उद्‌देश्य महाविद्यालय के विकास में नागरिकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना है।

शासन द्वारा विधायक **मान. डॉ. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव** को जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अध्यक्ष के अलावा जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि समिति के उपाध्यक्ष होते हैं तथा महाविद्यालय के प्राचार्य पदेन सचिव होते है। अध्यक्ष द्वारा विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य नागरिकों का सदस्य के रूप में निम्नानुसार मनोनयन किया गया है।

जनभागीदारी समिति

क.	नाम	क्षेत्र से
1	मान. डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव	अध्यक्ष एवं विधायक सिहावा विधानसभा क्षेत्र
2	एस.डी.एम. (कलेक्टर प्रतिनिधि)	उपाध्यक्ष एवं एस.डी.एम.कार्यालय धमतरी (पदेन)
3	डॉ.श्रीदेवी चौबे	सचिव (पदेन)

4	श्री विजय साहू	सांसद प्रतिनिधि
5	श्री शरद लोहाना	विधायक प्रतिनिधि, सिहावा विधानसभा क्षेत्र
6	श्री भरत सोनी	विधायक प्रतिनिधि, धमतरी विधानसभा क्षेत्र
7	श्री मदन मोहन खंडेलवाल	स्थानीय संस्थाओं का प्रतिनिधि
8	श्री राजेन्द्र लुकंड़	उद्योगों का प्रतिनिधि
9	श्रीमती कविता योगेश बाबर	कृषक प्रतिनिधि
10	श्री पी.बी.पराडकर	स्थानीय संगठनों का प्रतिनिधि
11	श्री घनश्याम साहू	अभिभावकों का प्रतिनिधि
12	श्री सोमेश मेश्राम	भूतपूर्व छात्रों का प्रतिनिधि
13	श्री लक्की जैन	भूतपूर्व छात्रों का प्रतिनिधि
14	प्राचार्य, शा.बा.उ.मा.वि.धमतरी	पोषक शालाओं का प्रतिनिधि

अकादमिक कैलेण्डर

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर

(कोविड–19 महामारी के कारण केवल इसी सत्र हेतु)

क्र.		विवरण	तिथियाँ	
1	प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)			
	(क)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	02.08.2021 से 31.08.2021	
	(ख)	अन्य कक्षाओं हेतु	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर	
	(ग)	प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से सम्पन्न कराए जाये।		
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि		15.09.2021	
3	नियमित कक्षायें प्रारंभ		02.08.2021 (नवीनीकरण विद्यार्थियों हेतु) 01.09.2021 (नवीन विद्यार्थियों हेतु)	
4	वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा		परीक्षा पूर्णता के 15 दिन के अन्दर	
5	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा		30.09.2021	ऑफलाइन परीक्षाओं के लिये लागू
6	पूरक परीक्षा का आयोजन		(न्यूनतम समय में)	
7	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा		30.10.2021	
8	छात्रसंघ गतिविधियाँ			
	(क)	छात्रसंघ गठन चुनाव प्रकिया एवं शपथ ग्रहण	21.09.2021 से 30.09.2021 (विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे।)	
9	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :–			
	(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रांरम्भ (इंडोर आउटडोर)	विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे।	
	(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)		
	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण		
10	एन सी.सी. /एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :–			
	(क)	वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई 2021 का द्वितीय सप्ताह	
	(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर 2021 में से कोई एक दिन	
	(ग)	एनसीसी /एनएसएस कैम्प का आयोजन	25.10.2021 से 31.12.2021 के मध्य	
	(घ.)	दीक्षान्त समारोह	फरवरी 2021 22	

22.6.21 22.6.21 22/6/21

		विवरण	तिथियाँ
	अवकाश		
	(अ)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	14.10.2021 से 16.10.2021 तक
	(ब)	दीपावली अवकाश (4 दिन)	03.11.2021 से 06.11.2021 तक
	(स)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	23.12.2021 से 25.12.2021 तक
	(द)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (15 दिन)	16.06.2022 से 30.06..2022 तक
12	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम		
	1	प्रथम यूनिट परीक्षा	05.10.2021
	2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	03.11.2021
	3	प्रथम सत्र परीक्षा	01 से 03 दिसम्बर 2021
	4	तृतीय यूनिट परीक्षा	05.01.2022
	5	द्वितीय सत्र परीक्षा	20 से 22 जनवरी 2022
	6	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	08.02.2022
	7	प्री– फाइनल परीक्षा	22, 23 एवं 24 फरवरी 2022
13	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम		
	1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	26.03.2022 से 09.04.2022
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	16.04.2022 से 15.06.2022

नोटः— अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :—

1. प्रत्येक विषय में ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कैम्प / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
4. ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जावेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जावेगी।
6. ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जावेगी।

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातकोत्तर (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
कक्षाएँ प्रारंभ	1 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)	05 फरवरी, 2022 (शनिवार)
शैक्षणिक कार्य	1 अक्टूबर, 2021 से 15 जनवरी, 2022	07 फरवरी, 2022 से 05 मई 2022
प्रायोगिक परीक्षाएँ	जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह	मई 2022 के द्वितीय सप्ताह
परीक्षा पूर्व तैयारी	10 जनवरी, 2022 से 15 जनवरी, 2022	10 मई, 2022 से 16 मई, 2022
सेमेस्टर परीक्षा	17 जनवरी, 2022 से 05 फरवरी 2022 तक	16 मई, 2022 से 10 जून 2022
परीक्षा परिणाम	मार्च, 2022 के प्रथम सप्ताह तक	जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह तक

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए — प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए — प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण —

   6 घण्टे अध्ययन—अध्यापन कार्य
   (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)

   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)
4. समस्त प्रकार की बैठक / स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जावे।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।

22.6.21

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियाँ प्रदान करेंगें।

7. कोविड–19 के प्रभाव के कारण विलंब से सत्र प्रारंभ हो रहा है। अतः पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।

8. अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सुधार करते हुए महाविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी मानक का विस्तार किया जाये। विद्यार्थियों को ई–लर्निंग पद्धति से अवगत कराया जाये एवं शासन के ई–लर्निंग पोर्टल का उपयोग अध्यापन हेतु किया जाये।

9. गूगल क्लासरूम, गूगल हैंगआउट, वेबेक्स मिटिंग, यू–ट्यूब स्ट्रीमिंग, स्वयंम प्लेटफार्म एवं स्वयम प्रभा जैसे ऑनलाईन माध्यम की सहायता से अध्ययन–अध्यापन किया जाए।

10. अधिकतम 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑनलाईन माध्यम से तथा अधिकतम 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम परम्परागत तरीके /ऑफलाइन से पूर्ण कराया जाए।

———000———

22.6.21 22/06/21 22.6.21 22/6/21

26.7.2021
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

शिक्षकों की उपलब्धता

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक महाविद्यालय में 7 घंटे उपलब्ध रहेंगे।

1. दिवस कालीन : प्रातः 10:30 से 5:30 बजे तक
2. घंटे का ब्रेकअप : 6 घंटे अध्ययन, अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोध–कार्य, लाइब्रेरी वर्क, सम्मिलित), 1 घंटा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य) पाठ्यक्रम पुनरावलोकन में प्रत्येक शिक्षक एक घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लेकर विद्यार्थियों का शंका समाधान करेंगे।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

* प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य।
* एन.सी.सी. कैम्प / एन.एस.एस. कैम्प / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं / यूथ रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
* उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।
* कम उपस्थिति वाले छात्रों तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
* उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी।

विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

1. सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय–परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय–परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन–निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय–परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2. अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षो, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

3. परीक्षा सम्बन्धी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

4. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।

4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

   महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।